



भारतीय मानक ब्यूरो

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारत सरकार

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Government of India

हमारा संदर्भ: नाशाका/सी एम/एल - 7400083110

दिनांक - 01 जनवरी 2026

विषय : आई एस 16647 : 2017 के अनुरूप भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 7400083110 प्रदान करने के संबंध/संदर्भ में। / Grant of BIS Product Certification Licence No.- CM/L- 7400083110 as per IS 16647 : 2017.

एस ए एस पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

SAS Polymers Private Limited

एमपीआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, प्लॉट नं. जे8, जे9, जे10, जे11 & जे12,
MPIDC Industrial Area, Plot No. J8, J9, J10, J11 & J12,

रेमंडस फैक्ट्री के पीछे, खैरीताई, तहसील - सौसर, बोरगांव,

Behind Reymonds Factory, Khairitai, Tehsil Sausar, Borgaon,

जिला - छिंदवाडा, मध्य प्रदेश - 480108

Dist : Chhindwara, Madhya Pradesh - 480108

महोदय/ Dear Sir,

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए सर्टिफिकेशन मार्क्स लाइसेंस जारी किया गया है:

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the following:

उत्पाद / Product :

Oriented Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-O) Pipes for Water Supply

किस्में/ Varieties :

Material Classification : Class 500, Design coefficient (C) : 1.4 and 1.6, Class of Pipes (Pressure rating) : 12.5, 16 and 25, Nominal Size : 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, and 250 mm, End of pipes - Plain ended Pipes and Integrally Socketed for elastomeric sealing ring jointing.

आई एस 16647 : 2017 के अनुरूप।

As per IS 16647 : 2017.

2. आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सी एम/एल - 7400083110 है जो दिनांक 26/12/2025 से लागू है तथा दिनांक 25/12/2026 तक वैध है। आपके द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
The number assigned to this licence is CM/L- 7400083110, which has been made operative from 26/12/2025 and is valid upto 25/12/2026. The licence number shall invariably be referred to in your future correspondence.

3. आपको यह लाइसेंस इस सस्पेंड शर्त पर प्रदान किया जाता है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त /अधिकांश उत्पादन पर मानक मुहर लगाएंगे तथा उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। तदनुसार, आप पूरे उत्पादन को मानक चिह्न के साथ लाइसेंस के दायरे में शामिल करेंगे और उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। इसके अलावा, आप अपने पास मौजूद बीआईएस

भारतीय खान ब्यूरो, ब्लॉक 'ए' और 'डी', 8 वीं मंजिल, इंदिरा भवन,

सिविल लाईंस, नागपुर, महाराष्ट्र - 440001

ईपीबीएक्स :- (0712) 2565171, 2554267

ई-मेल: ngbo@bis.gov.in वेबसाइट: www.bis.gov.in

Indian Bureau of Mines, Block 'A' & 'D', 8th Floor, Indira Bhavan,

Civil Lines, Nagpur, Maharashtra - 440001

EPBX - (0712) 2565171, 2554267

e-mail: ngbo@bis.gov.in Website: www.bis.gov.in

For detailed information on BIS, consult the e-BIS Portal (www.manakonline.in)

Please use "BIS CARE APP" for verification of ISI-marked goods and hallmarked gold jewellery